यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-8, राज्य कर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-8, राज्य कर, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रमेश कुमार केशरी, श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री मातवर सिंह राणा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.12.2020 से 10.12.2020 तक सुश्री एकता सिंह, सहायक महालेखाकार के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री बी.बी.एम. त्रिपाठी, श्री एस.एस.दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.02.2020 से 11.02.2020 तक श्री आर.एस.नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -** शिमला बाईपास, निरंजनपुर, मोहब्बेवाला, जी.एम.एस.रोड, देहरादून।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरण:**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है-

(₹ लाख मे)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	525.75
2018-19	531.01
2019-20	600.53

(ii) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (Plan)		गैर स्थापना (Non Plan)		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना ()	गैर स्थापना ()	आवंटन ()	व्यय ()	आवंटन ()	व्यय ()		
		लागू नहीं						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय आधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त, राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त, राज्य कर**>** उपायुक्त, राज्य कर**>** सहायक आयुक्त, राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-8, राज्य कर, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-8, राज्य कर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन:-**

राजस्व: माह 03/2020 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ---------- को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखापरीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 कर के न्यूनारोपण के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ` 5.09 लाख ।

प्रस्तर-2 कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप कर का न्यूनारोपण ` 2.48 लाख ।

प्रस्तर-3 देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.56 लाख।

प्रस्तर-4 कम बिक्री प्रदर्शित किये जाने से राजस्व हानि ` 1.14 लाख ।

प्रस्तर-5 इनपुट टैक्स का गलत दावा करने के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.42 लाख।

प्रस्तर-6 उपकर (Cess) का अनारोपण ` 0.53 लाख ।

प्रस्तर-7 कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण आदेश जारी किया जाना।

व्यय की लेखापरीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

राजस्व की लेखापरीक्षा

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-1 कर के न्यूनारोपण के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ` 5.09 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में कर देयता 13.5% निर्धारित की गई है । अनुसूची-II(ख) के क्रम संख्या 78 के अनुसार अयस्क धातुएं एवं खनिज जिसमें गौड़ खनिज सम्मिलित नहीं है, पर कर देयता 5% की दर से निर्धारित की गई है ।

उत्तराखण्ड सरकार का गजट संख्याः 844/vii-1/2015/68-ख/2015 देहरादून दिनांक 31.07.2015 के अनुसार खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः का0आ0 423(अ) दिनांक 10.02.2015 द्वारा 31 खनिजों जो कि मुख्य खनिज की श्रेणी के अन्तर्गत थे, को गौड़ उपखनिज की श्रेणी में घोषित कर दिया गया है । उक्त तिथि से क्रम संख्या (छः) एवं (सत्तरह) में क्रमशः चॉक (Chalk) एवं जिप्सम (Gypsum) की बिक्री पर कर की दर 13.5% निर्धारित की गयी है ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-8, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में निम्नांकित कमियां पाई गईः-

[क] व्यौहारी सर्वश्री चिराग ट्रेडिंग कम्पनी, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून (टिन नं0 05000838105) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 द्वारा संगत वर्ष में ` 51,12,140/- की जिप्सम पाउडर, चॉक मिट्टी, पी.वी.सी. गुड्स आदि की बिक्री 5% की दर से की गयी थी जो अवर्गीकृत वस्तु की श्रेणी में होने के कारण उक्त की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय है । अतः अन्तरीय कर दर 8.5% (अर्थात् 13.5% - 5%) से ` 4.34,532/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय है । साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय है।

[ख] अन्य व्यौहारी सर्वश्री भाटिया सन्स, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून (टिन नं0 05000827823) द्वारा संगत वर्ष 2016-17 में ` 8,84,177/- की जिप्सम पाउडर, चॉक मिट्टी, गेरू आदि की बिक्री 5% की दर से की गयी थी जो अवर्गीकृत वस्तु की श्रेणी में होने के कारण उक्त की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय है । अतः उक्त की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5% (अर्थात् 13.5% - 5%) से ` 75,155/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय है। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरान्त उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

अतः कर के न्यूनारोपण के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ` 5,09,687 (` 4,34,532 + ` 75,155) का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-2 कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप कर का न्यूनारोपण ` 2.48 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(आ) एवं (ई) के अनुसार अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में 5% तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न के सम्बन्ध में 13.5% की दर से कर देय है ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-8, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में निम्नांकित कमियां पाई गईः-

[क] व्यौहारी सर्वश्री आर0 के0 ट्रेडर्स, माजरा, देहरादून (टिन नं0 05011974093) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 में ` 14,17,756/- की "अर्थिंग इलेक्ट्रोड" की बिक्री 5% की दर से की गयी थी । चूँकि उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनयम, 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है । अतः उक्त बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5% (13.5% - 5%) से ` 1,20,509/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय है । साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय है ।

[ख] अन्य व्यौहारी सर्वश्री मिनी मोल्डिंग्स, सेंवला, पो0आ0 माजरा, देहरादून (टिन नं0 05005601193) कर निर्धारण वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः ` 4,41,941/- तथा ` 10,61,324/- की रबर गुड्स की बिक्री 5% की दर से की गयी थी । चूँकि उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है । अतः उक्त दोनों वर्षों में रबर गुड्स की कुल बिक्री ` 15,03,265/- पर अन्तरीय कर दर

8.5% 13.5% - 5%) से ` 1,27,778/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय है। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बिन्दु **[क]** के सम्बन्ध में बताया गया कि जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जबकि **[ख]** के सम्बन्ध में बताया गया कि व्यापारी द्वारा सन्दर्भित वर्षों में रबर गुड्स की बिक्री की गयी है । उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-IIB की प्रविष्टि संख्या 96 में रबड़ का उल्लेख है जिस पर 5% की कर देयता है । 'रबर गुड्स' रबर से निर्मित है जो अन्ततः रबर ही है । आयुक्त कर, उत्तराखण्ड के पत्रांकः 2619 दिनांक 26.08.2006 से भी स्पष्ट है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त पत्र दिनांक 26.08.2006 के क्रमांक 3 के अनुसार अनुसूची-II की प्रविष्टि संख्या 96 में केवल रबड़, रॉ रबड़, लैटेक्स, ड्राई रिब्ड सम्मिलित है । जबकि 'रबर गुड्स' सम्मिलित नहीं है ।

अतः कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप कर का न्यूनारोपण ` 2,48,287/- (`1,20,509 + `1,27,778) अर्थात् `2.48 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-3 देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.56 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20वीं तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20वीं तारीख तक देय कर का भुगतान करना है ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह देय कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप मेः-

(i) देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि देय कर 10 हजार रूपये तक हो और देय कर का 50% यदि देय कर 10 हजार रूपये से अधिक हो, का दायी होगा ***(दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)***,

(ii) यदि विलम्ब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा ***(दिनांक 31.03.2015 से)***,

(iii) यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर 20 हजार रूपये तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर 20 हजार रूपये से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा ***(दिनांक 31.03.2015 से)*** ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-8, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि पांच व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` 10,24,395/- को विलम्ब से जमा किया गया था । अतः विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार न्यूनतम ` 1,56,182/- (अर्थात् `1.56 लाख) अर्थदण्ड देय था जिसे आरोपित नहीं किया गया **(विवरण संलग्न है)** ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि सन्दर्भित प्रकरणों में जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

"संलग्न विवरण"

क्रम सं0	व्यापारी का नाम	संगत वर्ष में सकल विक्रय धन (` में)	कर निर्धारण वर्ष/कर निर्धारण की तिथि	माह	अदा कर (` में)	कर भुगतान की अनुमन्य तिथि	कर भुगतान की वास्तविक तिथि	अर्थदण्ड का न्यूनतम दर (प्रतिशत में)	न्यूनतम अर्थदण्ड (` में)	कर भुगतान में विलम्ब
1.	सर्वश्री एस0 एस0 इण्टरप्राईजेज, सेवलाकलां, देहरादून (TIN No. 05015760779)	26,92,401	2016-17 19.10.2019	प्रथम त्रैमास (04/2016 से 06/2016)	30,000	20.07.2016	30.08.2016	20%	6,000	1 माह 10 दिन
				द्वितीय त्रैमास (07/2016 से 09/2016)	8,000	20.10.2016	24.10.2016	5%	400	4 दिन
				तृतीय त्रैमास (10/2016 से 12/2016)	35,000	20.01.2017	02.02.2017	5%	1,750	13 दिन
				चतुर्थ त्रैमास (01/2017 से 03/2017)	60,000	20.04.2017	27.04.2017	5%	3,000	7 दिन
								योग (i)	**11,150**	

2.	मेसर्स भाटिया सन्स, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून (TIN No. 05000827823)	1,33,18,110	2016-17 16.10.2019	चतुर्थ त्रैमास (01/2017 से 03/2017)	60,000	20.04.2017	07.07.2017	20%	12,000	2 माह 17 दिन
					1,30,000	20.04.2017	15.07.2017	20%	26,000	2 माह 25 दिन
					1,50,000	20.04.2017	15.07.2017	20%	30,000	2 माह 25 दिन
					2,83,315	20.04.2017	17.07.2017	20%	56,663	2 माह 27 दिन
								योग (ii)	**1,24,663**	
3.	मेसर्स बालाजी मार्बल ट्रेडर्स, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून (TIN No. 05011793382)	46,09,775	2016-17 07.09.2019	द्वितीय त्रैमास (07/2016 से 09/2016)	1,33,000	20.10.2016	25.10.2016	5%	6,650	5 दिन
								योग (iii)	**6,650**	

4.	सर्वश्री कैनबरा इण्टरनेशनल प्रा0 लि0, मोहब्बेवाला, देहरादून (TIN No. 05013575369)	1,14,62,795	2015-16 27.06.2019	07/2015	88,650	20.08.2015	26.08.2015	5%	4,433	6 दिन
								योग (iv)	**4,433**	
5.	सर्वश्री उत्तरांचल हार्डवेयर पेन्ट्स, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून (TIN No. 05001011153)	88,34,056	2016-17 25.09.2019	तृतीय त्रैमास (10/2016 से 12/2016)	23,210	20.01.2017	22.03.2017	20%	4,642	2 माह 2 दिन
				चतुर्थ त्रैमास (01/2017 से 03/2017)	22,420 800(CST)	20.04.2017	15.06.2017	20%	4,484 160	1 माह 26 दिन
								योग (v)	**9,286**	
					10,24,395	**महायोग [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)]**			**1,56,182**	

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-4 कम बिक्री प्रदर्शित किये जाने से राजस्व हानि ` 1.14 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(आ) एवं (ई) के अनुसार क्रमश: अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में 5% तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न के सम्बन्ध में 13.5% की दर से कर देय है ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-8, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री बालाजी प्लाईवुड, ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून (टिन नं0 05008833718) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में 5% वाली वस्तु की व्यापारिक स्थिति निम्न प्रकार प्रदर्शित की गयी-

आरम्भिक रहतियाः- ` 41,69,095

<u>क्रयः- ` 1,38,762</u>

कुल ` 43,07,857

अन्तिम रहतियाः- ` 15,58,480

व्यापारी द्वारा बिक्री किया जाना चाहिये थाः-

` 27,49,377/- (अर्थात् ` 43,07,857 - ` 15,58,480) (लाभ रहित)

परन्तु व्यापारी द्वारा बिक्री की गईः- ` 1,98,880 + ` 2,75,056 (केन्द्रीय बिक्री) = ` 4,73,936

अर्थात् व्यापारी द्वारा दर्शायी गयी कम बिक्रीः- ` 22,75,441/- (अर्थात् ` 27,49,377 - ` 4,73,936)

अतः कम दर्शायी गयी वस्तुओं को लाभरहित बिक्री मानते हुये 5% की दर से ` 1,13,772/- (22,75,441x5%) का अतिरिक्त कर आरोपणीय है। साथ ही नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त नियमानुसार उचित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

अतः कम बिक्री प्रदर्शित किये जाने से राजस्व हानि `1,13,772/- अर्थात् ` 1.14 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-5 इनपुट टैक्स का गलत दावा करने के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.42 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(आ) एवं (ई) के अनुसार क्रमश: अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में 5% तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न के सम्बन्ध में 13.5% की दर से कर देय है।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(xi) के अन्तर्गत यदि किसी व्यौहारी ने मिथ्या विक्रय बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स का दावा करता है अथवा इनपुट टैक्स की गलत धनराशि का दावा करता है, तो वह अर्थदण्ड के रूप में पाँच हजार रूपये अथवा दावाकृत धनराशि का तीन गुना, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने का दायी होगा ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-8, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री बिन्डलास इंजीनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा0 लि0, देहरादून (टिन नं0 05000829375) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में किये गये प्रान्तीय क्रय पर ` 83,860/- का आई0टी0सी0 का दावा किया गया था । परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जांचोपरान्त ` 83,860/- के दावे के स्थान पर ` 69,710 की आई0टी0सी0 का दावा स्वीकार किया गया था अर्थात् कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ` 14,150 (` 83,860 - ` 69,710) की आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं किया गया था । अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उक्त धारा 58(1)(xi) के अनुसार गलत दावाकृत आई0टी0सी ` 14,150/- का तीन गुना अर्थात् ` 42,450/- (` 14,150 x 3) अर्थदण्ड आरोपणीय है । जिसे कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा न्याय एवं विवेक से Best Judgement के आधार पर निर्णय लेते हुये

` 14,150/- का आई0टी0सी का दावा अस्वीकृत किया गया । अर्थदण्ड को राजस्व के स्रोत के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की उपरोक्त धारा के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा इनपुट टैक्स की गलत धनराशि का दावा करने पर वह अर्थदण्ड के रूप में पाँच हजार रूपये अथवा दावाकृत धनराशि का तीन गुना, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने का दायी होगा ।

अतः इनपुट टैक्स का गलत दावा करने के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.42/- लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-6 उपकर (Cess) का अनारोपण ` 0.53 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-08 की अधिसूचना संख्याः 194/2016/17(120)/XXVII(8)/2014 दिनांक 02 मार्च, 2016 के द्वारा "बेवरेजेज" के सन्दर्भ में विनिर्माता के बिन्दु पर या राज्य के बाहर से आयात किये जाने के उपरान्त राज्य में प्रथम बिक्री के बिन्दु पर माल के मूल्य का 2% उपकर (Cess) आरोपणीय है ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-8, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री नूरिस्को बेवरेजेज लि0, मोहब्बेवाला, देहरादून (टिन नं0 05011238348) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 द्वारा संगत वर्ष में ` 17,82,295/- की बिक्री 13.5% की दर से तथा ` 8,51,631/- की बिक्री 14.5% की दर से की गयी है । चूँकि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ` 18,50,151/- का बेवरेजेज का क्रय/आयात फार्म-16 के माध्यम से किया गया था तथा प्रथम बार प्रान्त के अन्दर ` 26,33,926/- की बिक्री की गई थी । अतः नियमानुसार बिक्री की गई राशि ` 26,33,926/- का 2% अर्थात् ` 52,678/- का उपकर आरोपणीय है । साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में केवल नैचुरल मिनरल वाटर की बिक्री की गयी है । उक्त अधिसूचना द्वारा नैचुरल मिनल वाटर पर उपकर की देयता निर्धारित नहीं की गयी है। चूंकि मिनरल वाटर मानव के उपयोग की एक अति आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती है ।

अतः उक्त पर उपकर की देयता नहीं बनती । कर निर्धारण आदेश में त्रुटिवश 'बेवरेजेज' शब्द का उल्लेख कर दिया गया है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि "प्रिपैक्ड नैचुरल मिनरल वाटर" बेवरेजेज की श्रेणी में आते हैं ।

अतः राज्य के बाहर से आयात किये जाने के उपरान्त राज्य में प्रथम बिक्री के बिन्दु पर ` 52,678/- का उपकर आरोपणीय है ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-7 कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण आदेश जारी किया जाना।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अन्तर्गत किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित किसी आदेश में अभिलेख देखने मात्र से प्रत्यक्ष किसी बात को स्वप्रस्ताव से या ब्यौहारी या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर, उस आदेश के दिनांक जिसमें सुधार किया जाना हो, के तीन वर्ष के भीतर सुधार सकता हैः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के अधीन प्रार्थना पत्र ऐसी तीन वर्ष की अवधि के भीतर दिया गया है, तो उसका निस्तारण ऐसी अवधि के पश्चात् भी किया जा सकता है;

प्रतिबन्ध यह कि ऐसा कोई सुधार, जिसके प्रभाव से निर्धारित कर, अर्थदण्ड, फीस या अन्य देयों में वृद्धि हो, तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति को, जिसके ऐसी वृद्धि से प्रभावित होने की सम्भावना हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-8, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में निमांकित कमियाँ पायी गयी:-

(क) व्यापारी सर्वश्री सेठी मोटर स्टोर, देहरादून (टिन नं0 05014183559) कर निर्धारण वर्ष 2015-16 द्वारा संगत वर्ष में ` 41,81,902/- का मोटर पार्ट्स/स्पेयर पार्ट्स की बिक्री 5% की दर से की गई थी । चूँकि उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है । अतः उक्त की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5% (अर्थात् 13.5% - 5%) से ` 3,55,462/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था । साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा ।

[ख] व्यापारी सर्वश्री बाईट्स कम्प्यूटर्स, सेवलां कलां, देहरादून (टिन नं0 05009425127) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पेण्ट्स एवं सैनेट्री आदि की करयोग्य बिक्री ` 8,50,533/- पर 5% की दर से कर आरोपित किया गया है । जबकि उक्त वस्तुएं किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न होने के कारण 14.5% की कर देयता है । अतः पेण्ट्स एवं सैनेट्री आदि की बिक्री ` 8,50,533/- पर अन्तरीय दर 9.5% (अर्थात् 14.5% - 5%) से ` 80,801/- अतिरिक्त कर आरोपणीय है जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा आपत्ति **[क]** के सम्बन्ध में बताया गया कि व्यापार स्पेयर पार्ट्स, मोटर पार्ट्स, बियरिंग, पुराने वाहन आदि की खरीद बिक्री का है । व्यापारी द्वारा ` 41,81,902/- की बिक्री 5% की दर से पुराने वाहन की की गई है जो कि अनुसूची-IIB में प्रविष्टि संख्या 118 से आच्छादित है । लिपिकीय त्रुटिवश 5% एवं 13.5% की दर से अंकित वस्तुओं को मोटर पार्ट्स/स्पेयर पार्ट्स अंकित कर दिया गया है इकाई का उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि इकाई द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि बिन्दु संख्या **[ख]** के सम्बन्ध में बताया गया कि व्यापारी द्वारा कम्प्यूटर गुड्स की बिक्री की जाती है । कर निर्धारण आदेश में लिपिकीय त्रुटि के कारण कम्प्यूटर गुड्स की बिक्री के स्थान पर पेन्ट्स एवं सैनेट्री गुड्स की बिक्री अंकित कर दी गयी थी जो कि अभिलेखों से स्पष्ट है। सुलभ सन्दर्भ हेतु खरीद-बिक्री का विवरण प्रस्तुत है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है,

क्योंकि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा-30 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश संशोधित किया जाना अपेक्षित है।

अत: कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण आदेश जारी करने से प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-33/2014-15	1	1	-
CT-29/2015-16	-	1,2,3	1
CT-24/2016-17	1	1,2,3,4,5,6	-
CT-84/2017-18	1	1,2,3,4,5	-
CT-137/2019-20	-	1,2,3,4	-

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित कार्य - टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-8, राज्य कर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: **शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएःशून्य**

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती सीमा आर्या	सहायक आयुक्त

AMG-IV/CT-48/2020-21

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV